इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 295] भोपाल, बुधवार, दिनांक 22 जुलाई 2015—आषाढ़ 31, शक 1937

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2015

क्र. 16220-वि.स.-विधान-2015.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 12 सन् 2015) जो विधान सभा में दिनांक 22 जुलाई 2015 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक
क्रमांक १२ सन् २०१५

मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, २०१५

विषय-सूची

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
२. धारा ४-क का संशोधन.
३. धारा १० का संशोधन.
४. धारा १४ का संशोधन.
५. धारा १६-क का संशोधन.
६. धारा १८ का संशोधन.
७. धारा २९ का संशोधन.
८. निरसन तथा व्यावृत्ति.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १२ सन् २०१५

मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, २०१५

मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अधिनियम, २०१५ है.

(२) (क) इस संशोधन अधिनियम की धारा ४ के खण्ड (दो), धारा ६ और धारा ७ के उपबंध १ अप्रैल, २०१५ से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे;

(ख) इस संशोधन अधिनियम के शेष उपबंध ८ जून, २०१५ से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे.

धारा ४-क का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ४-क में, उपधारा (३) में, परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"परन्तु जहां ऐसी अपील का निपटारा स्थगन आदेश में विनिर्दिष्ट स्थगन की उक्त कालावधि के भीतर नहीं किया जाता है, वहां अपील बोर्ड, व्यापारी द्वारा इस निमित्त प्रस्तुत किए गए आवेदन पर और यह समाधान हो जाने पर कि अपील के निपटारे में विलंब व्यापारी के कारण नहीं हुआ है, एक बार में अधिकतम छह कलेण्डर मास की कालावधि के लिए स्थगन में वृद्धि करेगा.".

धारा १० का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा १० में, उपधारा (१) में, खण्ड (ङ) के पश्चात्, उप-खण्ड (एक) में, अंक और शब्द "४ प्रतिशत की दर" के स्थान पर, अंक और शब्द "५ प्रतिशत की दर" स्थापित किए जाएं.

धारा १४ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा १४ में,—

(एक) उपधारा (१) में, खण्ड (क) में, उपखण्ड (६) में, द्वितीय प्रभाग (डिवीजन) में, मद (दो) में, अंक और शब्द "४ प्रतिशत" के स्थान पर, अंक और शब्द "५ प्रतिशत" स्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (१क ज) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"(१क झ) ऐसे निर्बन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो कि विहित की जाएं, जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी, अनुसूची-२ के भाग-तीन क में यथाविनिर्दिष्ट टेलीफोन, सेल्यूलर हैन्ड सेट तथा फेबलेट, पान मसाला और गुटका (तम्बाकू रहित) मध्यप्रदेश राज्य के भीतर ऐसे अन्य व्यापारी से उसे आगत कर के भुगतान के पश्चात् क्रय करता है, और इस प्रकार क्रय किए गए टेलीफोन, सेल्यूलर हैन्ड सेट तथा फेबलेट, पान मसाला और गुटका (तम्बाकू रहित) का मध्यप्रदेश राज्य के भीतर विक्रय करता है, तो वह ऐसे आगत कर की राशि के आगत कर के रिबेट का दावा, ऐसी रीति में तथा ऐसी कालावधि के भीतर, जैसी कि विहित की जाए, करेगा या उसे ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा.";

(तीन) उपधारा (५) में, खण्ड (क) में, उपखण्ड (एक) में, अंक और शब्द "४ प्रतिशत की दर से" के स्थान पर, अंक और शब्द "५ प्रतिशत की दर से" स्थापित किए जाएं.

५. मूल अधिनियम की धारा १६-क में, उपधारा (२) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात्:— **धारा १६-क का संशोधन.**

"(३) इस अधिनियम या इस अधिनियम द्वारा निरसित किसी अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रशासित मध्यप्रदेश सामान्य विक्रय कर अधिनियम, १९५८, मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, १९९४, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, १९५६ और मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, १९७६ के अधीन रूग्ण अथवा बंद औद्योगिक इकाईयों के विरुद्ध दायित्वों के, जिसमें कर और ब्याज / शास्ति की बकाया शामिल है, राज्य सरकार की उद्योग संवर्द्धन नीति के उपबंधों के अनुसार निराकरण हेतु योजना बना सकेगी.

स्पष्टीकरण.—इस उपधारा के प्रयोजन के लिए "रूग्ण अथवा बंद औद्योगिक इकाई" से अभिप्रेत है—

(एक) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर) द्वारा संदर्भित वृहद् एवं मध्यम श्रेणी की औद्योगिक इकाई, जो प्रबंधन के परिवर्तन के माध्यम से अधिग्रहण अथवा बी. आई. एफ. आर. द्वारा परिसमापन की सिफारिश के अनुसरण में परिसमापन के अधीन औद्योगिक इकाई के आधिकारिक परिसमापक से क्रय के पश्चात् पुनर्वासित किए जाने के लिए है या वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रर्वतन अधिनियम, २००२ (२००२ का ५४) के अधीन किसी वित्तीय संस्था, राज्य शासन के किसी निगम, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम या मध्यप्रदेश वित्त निगम से क्रय की गई वृहद् / मध्यम श्रेणी की औद्योगिक इकाई;

(दो) राज्य में स्थित वृहद् एवं मध्यम श्रेणी की औद्योगिक इकाईयां जिनके मामले रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, १९८५ के अधीन औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर) के समक्ष विचाराधीन हैं और बोर्ड उनके पुनर्वास के लिए पुनर्वास योजना तैयार कर रहा है या तैयार कर ली है;

(तीन) लघु श्रेणी की औद्योगिक इकाई जिसके संबंध में उद्योग संवर्धन नीति के अधीन "मध्यप्रदेश लघु उद्योग पुनर्जीवन योजना" स्वीकृत की गई है.".

६. मूल अधिनियम की धारा १८ में, उपधारा (४) में, खण्ड (घ) में, शब्द "पचास हजार रुपये के अधिकतम के अध्यधीन रहते हुए, प्रथम तीस दिवस के व्यतिक्रम के लिए पचास रुपये प्रतिदिन की राशि तथा उसके पश्चात् एक हजार रुपये प्रतिदिन की राशि" के स्थान पर, शब्द "पच्चीस हजार रुपये के अधिकतम के अध्यधीन रहते हुए, प्रथम तीस दिवस के व्यतिक्रम के लिए पचास रुपये प्रतिदिन की राशि तथा उसके पश्चात् पांच सौ रुपये प्रतिदिन की राशि" स्थापित किए जाएं. **धारा १८ का संशोधन.**

७. मूल अधिनियम की धारा २९ में, उपधारा (५ख) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात्:— **धारा २९ का संशोधन.**

"(५ग) इस अधिनियम में अन्यत्र कहीं अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, जब किसी व्यापारी की किसी इकाई का कारबार उसी व्यापारी की किसी अन्य इकाई में समामेलित किया जाता है, और वह प्रत्येक ऐसी इकाई के लिए पृथक् रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र धारण करता है तो ऐसे समामेलन की तारीख को समामेलित होने वाली इकाई द्वारा धारित माल, जिसमें प्लान्ट एवं मशीनरी शामिल है, का अंतरण समामेलित इकाई में हुआ समझा जाएगा और समामेलित इकाई ऐसे समामेलन की तारीख को असमायोजित रहने वाली आगत कर रिबेट का जमा लेने का हकदार होगी.".

निरसन तथा व्यावृत्ति. ८. (१) मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अध्यादेश, २०१५ (क्रमांक ३ सन् २०१५) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

वर्ष २०१५-१६ के लिये विधान सभा में बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री द्वारा दिये गये भाषण के भाग-दो में अंतर्विष्ट कर प्रस्तावों को कार्यान्वित करने हेतु तथा कतिपय अन्य मामलों जैसे उद्योग संवर्द्धन नीति के उपबंधों के अनुसार रूग्ण और बंद औद्योगिक इकाईयों के शोध्यों के समापन के लिए उपबंध करने हेतु मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) में समुचित संशोधन किए जाने थे तथा अधिनियम के कतिपय अन्य उपबंधों का युक्तियुक्तकरण किया जाना था.

२. चूंकि मामला अत्यावश्यक था और विधान सभा का सत्र चालू नहीं था अतएव, मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अध्यादेश, २०१५ (क्रमांक ३ सन् २०१५) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था. अब यह प्रस्तावित है कि उक्त अध्यादेश के स्थान पर राज्य विधान मण्डल का अधिनियम बिना किसी उपांतरण के लाया जाए.

३. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख २१ जुलाई, २०१५.

जयंत मलैया
भारसाधक सदस्य.

''संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.''.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के खण्ड ४ के द्वारा राज्य सरकार को विधायनी शक्तियों के प्रत्यायोजन संबंधी प्रस्थापना की जा रही है, जो इस प्रकार है:—

खण्ड ४ : इस खण्ड के उपखण्ड (दो) के अधीन वह रीति जिसमें आगत कर रिबेट समायोजित की जाएगी, विहित करने हेतु राज्य सरकार को अधिकृत किया जा रहा है.

उपरोक्त प्रस्थापना सामान्य स्वरूप की हैं.

अध्यादेश के संबंध में विवरण

वर्ष २०१५-१६ के लिये विधान सभा में बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री जी द्वारा दिये गये भाषण के भाग-दो में अंतर्विष्ट कर प्रस्तावों को कार्यान्वित करने हेतु तथा कतिपय अन्य मामलों जैसे उद्योग संवर्द्धन नीति के उपबंधों के अनुसार रूग्ण और बंद औद्योगिक इकाईयों के शोध्यों के समापन के लिए उपबंध करने हेतु मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) में समुचित संशोधन किए जाने थे तथा अधिनियम के कतिपय अन्य प्रावधानों का युक्तियुक्तकरण किया जाना था. चूंकि मामला अत्यावश्यक था और विधान सभा का सत्र चालू नहीं था, अत: महामहिम राज्यपाल महोदय के हस्ताक्षर उपरांत दिनांक ८ जून, २०१५ को अध्यादेश राजपत्र में प्रकाशित कराया गया.

अब उक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने हेतु विधेयक लाया जा रहा है.

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.